

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं.CICOM/R/2017/00997

दिनांक. 11.08.2017

सेवा में,

श्री कौशलेन्द्र कुमार सिन्हा,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

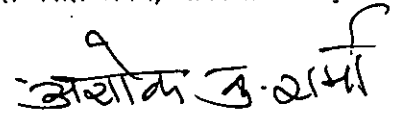
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 31.07.2017 के दो आर.टी.आई. आवेदन जो दिनांक 09.08.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ (डायरी सं. 155423) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 10.08.2017 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें ।

प्रथम आवेदन जिसके माध्यम से आपने बिहारशरीफ पोस्ट आफिस में गोन्द की उपलब्धता से संबंधित सूचना मांगी है, के संबंध में अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है । कृपया बिहारशरीफ पोस्ट ऑफिस में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें । उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सूचना आयोग सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्र सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है ।

आपके दूसरे आर.टी.आई. आवेदन जिसके माध्यम से आपने नन्दू शर्मा के मेसर्स पारिजात इंडिया इंडस्ट्रीज लि० में काम करने के संबंध में सूचना मांगी है, के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि निजी कंपनियों सूचना अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के दायरे में नहीं आती हैं, इसलिए उक्त कंपनी से संबंधित सूचना आर.टी.आई. के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066, दूरभाष सं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल